



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 22.10.2026

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 02 बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया गया ।

दिनांक 19.10.2026 को थाना शालीमार गार्डन पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात लोगों द्वारा वादिया के बेटे उम्र करीब 14 वर्ष की हत्या कर देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 22.10.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 02 बाल अपचारियों को नियमानुसार पुलिस संरक्षण में लिया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में एक बाल अपचारी ने बताया कि दिनांक 13.10.2026 को मैं अपनी दादी के 1500/- रुपये, बिना बताये लेकर आया था । दिल्ली से मैं नशे की सामग्री लेकर पप्पू कॉलोनी सेन्चुरियन ग्रान्ड मैरिज होम के बगल में खाली प्लॉट की बाउन्ड्री कूदकर अन्दर आ गया और उसी प्लॉट की झाड़ियों में बैठकर नशा करने लगा । उसके बाद मृतक और दूसरा बाल अपचारी आये और वे भी नशा करने लगे । इसी बीच हमारी कहा सुनी हो गयी । तभी मैंने गुस्से में आकर अपने नीचे से ईंट उठाकर उसके सिर में मार दी । मैंने दूसरे बाल अपचारी से कहा कि तुम भी फंसोगे क्योंकि तुम भी मौजूद हो । फिर हम दोनों ने मृतक के मुँह व सिर पर ईंट से कई वार किये और फिर हम मौके से भाग गये ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

बाल अपचारियों के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर उपरोक्त घटना के संबंध में हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध नशीला पाउडर बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 132 ग्राम अवैध नशीला एल्प्राजोलम पाउडर बरामद ।

आज दिनांक 22.10.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध नशीला पाउडर सहित 01 अभियुक्त साहिल खान पुत्र फिरोज खान मूल निवासी ग्राम सनघाट थाना ओपी कालीबाग जनपद बेतिया बिहार हाल पता मक्की मस्जिद कमल विहार, नसबन्दी कालोनी थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 132 ग्राम अवैध नशीला एल्प्राजोलम पाउडर बरामद हुआ । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना अंकुर विहार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा- 8/22 C एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं दिल्ली से चोरी छिपे अवैध नशीला एल्प्राजोलम पाउडर को खरीद कर लाता हूँ तथा इसकी पुडिया बनाकर राह चलते व्यक्तियों को बेच देता हूँ तथा मुनाफा कमा कर अपने शौक पूरा करता हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साहिल खान पुत्र फिरोज खान मूल निवासी ग्राम सनघाट थाना ओपी कालीबाग जनपद बेतिया बिहार हाल पता मक्की मस्जिद कमल विहार, नसबन्दी कालोनी थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

कुल 132 ग्राम अवैध नशीला एल्प्राजोलम पाउडर बरामद ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम ।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 21.10.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अज्ञात अभियुक्त की गिरफ्तारी व चोरी गयी मोटरसाइकिल की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 22.10.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल चोरी की घटना कारित करने वाले प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों 1. हारिस उर्फ बटला पुत्र मौ0 राशिद हाल निवासी खन्नानगर रामपार्क थाना अंकुर विहार गाजियाबाद व पूर्व पता सुन्दर नगरी दिल्ली मूल पता रेलवे स्टेशन के पास

कस्बा व थाना धनौरा मण्डी जनपद अमरोहा 2. फरमान उर्फ मोनू पुत्र हबीब निवासी इकराम पार्क खन्ना नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से उपरोक्त अभियोग से संबंधित चोरी गयी मोटरसाइकिल बरामद हुई। उपरोक्त अभियोग में साक्ष्य/बरामदगी के आधार पर धारा- 317(2)/ 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि इस मोटरसाइकिल को मौका पाकर हमने मलिक नगर मुरादनगर से चोरी किया था जिसे हम बेचने की फिराक में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

1. हारिस उर्फ बटला पुत्र मौ0 राशिद हाल निवासी खन्नानगर रामपार्क थाना अंकुर विहार गाजियाबाद व पूर्व पता सुन्दर नगरी दिल्ली मूल पता रेलवे स्टेशन के पास कस्बा व थाना धनौरा मण्डी जनपद अमरोहा, उम्र 21 वर्ष
2. फरमान उर्फ मोनू पुत्र हबीब निवासी इकराम पार्क खन्ना नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त फरमान उर्फ मोनू के विरुद्ध उपरोक्त चोरी की घटना सहित चोरी के कुल 04 अभियोग कमिश्नरेट गाजियाबाद में पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त हारिस उर्फ बटला के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त चोरी की घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 21.10.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त मौ0 आजम पुत्र मुर्तजा हाल पता बंगाली टोला कचरा बस्ती सीमापुरी दिल्ली मूल निवासी गांव सरायरायन टोला थाना ततारपुर जिला भागलपुर बिहार उम्र करीब 27 वर्ष को डिफेंस कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई जिसके संबंध में जीटीबी एन्क्लेव शाहदरा दिल्ली पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर धारा- 317(2)/317(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मैंने यह मोटरसाइकिल जीटीबी एन्क्लेव शाहदरा दिल्ली से लगभग 30-35 दिन पहले चोरी की थी। आज मैं इस चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मौ0 आजम पुत्र मुर्तजा हाल पता बंगाली टोला कचरा बस्ती सीमापुरी दिल्ली मूल निवासी गांव सरायरायन टोला थाना ततारपुर जिला भागलपुर बिहार उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

आपराधिक इतिहास:-

उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल के संबंध में थाना जीटीबी एन्क्लेव दिल्ली पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग थाना टीलामोड़ पर पंजीकृत किया गया है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

कार्यवाही/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम ।

अपराध समीक्षा गोष्ठी में कानून-व्यवस्था, आगामी त्योहारों की तैयारियों और विभिन्न पुलिस अभियानों की गहन समीक्षा

आज दिनांक 22.10.2026 को श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित मीटिंग हॉल में अधीनस्थ अधिकारियों के साथ **अपराध नियंत्रण**, कानून-व्यवस्था सुदृढ़ीकरण, यक्ष ऐप, ऑपरेशन प्रहार, सीसीएनएस पोर्टल, और मिशन शक्ति फेज-6.0 सहित विभिन्न महत्वपूर्ण अभियान तथा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत कानून-व्यवस्था के संबंध में समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई।

गोष्ठी में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था/यातायात, समस्त जोनल पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध, समस्त सहायक पुलिस आयुक्त (सर्किल), सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध तथा सहायक पुलिस आयुक्त अपराध एवं प्रज्ञान उपस्थित रहे।

बैठक/गोष्ठी में निम्न बिंदुओं की समीक्षा एवं विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए –

- **यक्ष ऐप** पर अपराधियों के सत्यापन, हिस्ट्रीशीट निगरानी, कैमरा मार्किंग तथा बीट अंकित कराने संबंधी कार्यवाही की विस्तृत समीक्षा की गई। इस विषय पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था एवं यातायात) द्वारा PPT के माध्यम से प्रस्तुतीकरण दिया गया।
- नोडल अधिकारी (अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून-व्यवस्था एवं यातायात) द्वारा **'ऑपरेशन प्रहार'** के अंतर्गत की गई कार्यवाहियों की प्रस्तुति दी गई।

- अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध/नोडल अधिकारी) द्वारा **मालों के निस्तारण तथा माल यार्ड** से संबंधित कार्यवाहियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई।
- **सीसीएमएस (CCMS) पोर्टल** के अनुसार दिनांक 01.01.2026 से 15.10.2026 एवं 15.09.2026 से 15.10.2026 तक की समस्त कार्यवाहियों का विस्तृत अवलोकन किया गया।
- दिनांक 01.01.2026 से 14.09.2026 तथा दिनांक 01.09.2026 से 14.09.2026 तक संपत्ति संबंधी व शरीर संबंधी अपराधों का 02 वर्षीय तुलनात्मक विश्लेषण किया गया।
- **एस०एस०ओ० पोर्टल** (SSO Portal) के टाइमलाइन डैशबोर्ड पर दिनांक 01.01.2026 से 21.10.2026 तक प्रदर्शित 60 दिवस एवं 90 दिवस में निस्तारण की अनुपालन दर की गहन समीक्षा की गई।
- दिनांक 21.10.2026 तक अनावरण हेतु शेष **हत्या, लूट, डकैती, स्नैचिंग, बलात्कार व गोवध अधिनियम** जैसे गंभीर शीर्षकों में लंबित विवेचनात्मक कार्यवाहियों की समीक्षा कर त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए।
- दिनांक 01.01.2026 से 15.10.2026 तक 02 वर्षीय **निरोधात्मक कार्यवाहियों** तथा विभिन्न महत्वपूर्ण अधिनियमों के अंतर्गत की गई कार्यवाहियों की समीक्षा की गई।
- मिशन शक्ति केंद्रों पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण तथा **मिशन शक्ति फेज-6.0** के अंतर्गत की गई कार्यवाहियों की समीक्षा कर महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।
- **आगामी त्योहारों** को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने हेतु की जा रही तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई।

गोष्ठी में पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी रखने, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने हेतु सभी अधिकारियों को सतर्कता, प्रभावी पुलिसिंग एवं आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।

थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 प्लास्टिक के कट्टे में अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद ।

आज दिनांक 22.10.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ अभियुक्त हैदर उर्फ वसीम पुत्र अशरफ निवासी पक्की मोरी डासना गेट थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष को थाना क्षेत्र टीलामोड़ से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 04 प्लास्टिक के कट्टों में अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद हुये । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा- 9 बी(1) (बी) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं आगामी त्यौहारों पर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से चौकी क्षेत्र फर्रुखनगर में चोरी-छिपे अवैध पटाखे बेच रहा थी कि पुलिस ने पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

हैदर उर्फ वसीम पुत्र अशरफ निवासी पक्की मोरी डासना गेट थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण -

04 प्लास्टिक के कट्टे में अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर विस्फोटक अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम ।